

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/फा-मान्यता/सम्बद्धता/आर.टी.ई. जयपुर पश्चिम/344/2012 दिनांक:-15/12

संस्था सचिव


संत जयान्वर्य पब्लिक स्कूल,
रामनगर शास्त्री नगर
जयपुर


विषय: नियम 8-क का उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता / सम्बद्धता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक 20/11/12 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में, मैं, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा. शि. जयपुर (विद्यालय का नाम और पता) संत जयान्वर्य पब्लिक स्कूल, रामनगर शास्त्री नगर, जयपुर को 01.04.12 से 31.03.15 तक तीन वर्ष की कालावधि के लिये कक्षा 01 से VIII तक के लिये अन्तरिम मान्यता / सम्बद्धता मंजूर करता हूँ।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी:-

1. मान्यता के लिये मंजूरी विस्तारणीय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-8 से आगे मान्यता / सम्बद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-1 में या, यथास्थिति, पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र संख्या की सीमा तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों को प्रवेश देगा और प्रार. शिक्षा की समाप्ति तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों का राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सांसायटी / विद्यालय कोई प्रति व्यक्ति फीस संग्रहित नहीं करेगा और बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :-



Gen. Secretary
Shri Jain Shwetamber Terapanthi
Secondary School
JAIPUR


Principal
Shri Jain Shwetamber Terapanthi Sec. School

- (i) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ;
- (ii) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा ;
- (iii) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा ;
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ;
- (v) 2009 के अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियोग्यता/ विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्मिलित किया जाये ;
- (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं सहित भर्ती किये जायें ;
परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, व 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नहीं लगायेंगे ।

7. विद्यालय, समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे ।
8. विद्यालय, 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा- विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे । अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी सुविधाएं निम्नानुसार है :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र- प्रपत्र 1 के अनुसार)

- विद्यालय परिसर का क्षेत्र
- कुल निर्मित क्षेत्र
- खेल-कूद के मैदान का क्षेत्र
- कक्षा के कमरों की संख्या
- प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
- लड़के और लड़कियों के लिये पृथक-पृथक शौचघर
- पीने के पानी की सुविधा
- मीड-डे-मील पकाने के लिये रसोई
- अवरोध मुक्त पहुंच
- अध्यापन त्रिजता सामग्री/ खेल-कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता ।


Gen. Secretary
Shri Jain Shwetamber Terapanthi
Secondary School
JAIPUR


Principal
Shri Jain Shwetamber Terapanthi Sec. School

- विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
- 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या मैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिये जायेंगे।
- 11. विद्यालय, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
- 12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जाता है।
- 13. किसी अमूंड ई एकाउंटेंट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को नोडल प्रधानाध्यापक के माध्यम से प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
- 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता/ सम्बद्धता कोड संख्या (RJ/BEEO/JPR/WEST/2012-13/...0492...) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिये इसे उल्लेखित किया जाये।
- 15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिये उनके द्वारा जारी किये जायें।
- 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
- 17. शत प्रतिशत अध्यापक
- 18. प्रशिक्षित नहीं होना।
- 19.
- 20.

KNNNN
 व.उप.जिला शिक्षा अधिकारी
 जयपुर पश्चिम

Sharma
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारंभिक शिक्षा जयपुर

Sharma
 Gen. Secretary
 Shri Jain Shwetamber Terapanthi
 Secondary School
 JAIPUR

Sharma
 Principal
 Shri Jain Shwetamber Terapanthi Sec. School



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : मा.शि.बो./सम्बद्धता/2016 | 15902-911

दिनांक 2-3-17

कार्यालय-आदेश


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : पं08 (55) शिक्षा-5/04 जयपुर दिनांक 21.09.2005 एवं 23.05.2007 के अनुसरण में क्रमांक: शिविरा-मा/मा/अ-3/ना.प./जयपुर मण्डल/2015 दिनांक 26.08.2015 के आदेशानुसार क्रम सं. 08 पर अंकित सन्त जयाचार्य पब्लिक स्कूल रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर का नाम परिवर्तन कर श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।


अतः उक्त आदेश के अनुसार विद्यालय का नाम परिवर्तन कर श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर करने की स्वीकृति बोर्ड रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

SJ
(मेघना चौधरी)
सचिव

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान 334001
2. मुख्य नियन्त्रक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर-302003
4. उप निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. उप निदेशक, (गोपनीय) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. उप निदेशक, (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार प्रकोष्ठ (आई.टी.एण्ड.सी.सैल) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. सहायक निदेशक, (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जयपुर-302001
9. अनुभाग अधिकारी, (परीक्षा सेल-1) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. प्रधानाध्यापक (S-1123399) श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर-302016
11. रक्षित पत्रावली।


Gen. Secretary
Shri Jain Shwetamber Terapanthi
Secondary School
JAIPUR


(श्रिया भार्गव)
विशेषाधिकारी (सम्बद्धता)

कृपया पत्र व्यवहार सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर-305001 के नाम सम्बोधित कीजिए।

IBX Tel. : 0145-2632870 से 2632873 तक E-mail : boser@sancharnet.in

Web site- WWW.rajeduboard.nic.in Fax : 0145.2627394 ग्राम-राजसैकबोर्ड


Principal
Shri Jain Shwetamber Terapanthi Sec. Sch.